न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 03/2020
दायर दिनांकः 12.02.2020
निर्णय दिनांक 21.10.2024

—:अनवानः—

श्री विक्रमसिंह पिता श्री नाथूसिंह जी रावत आयु 50 वर्ष निवासी मियाला खेत, तहसील भीम, जिला राजसमन्द

—— अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द
2. पटवारी हल्का लसाडिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द

—— रेस्पोंडेन्टगण

न्यायालय तहसीलदार साहब, भीम द्वारा प्रकरण संख्या 06/2020 ना0कब्जा पटवारी हल्का बनाम विक्रम सिंह में दिनांक 30.01.2020 को पारित निर्णय के विरूद्ध अपील

उपस्थित :—

1— श्री गिरिश चन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनील बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्टगण

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट आदेश पारित करने में विधि संबंधित व तथ्य संबंधित भूल की है उक्त मामले में अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने अधिवक्ता का वकालतनामा दिनांक 28.01.2020 को प्रस्तुत कराया तथा नकले प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा तो अधिनस्थ अधिकारी जी ने जवाब प्रस्तुत करने हेतु पेशी दिनांक 30.01.2020 को दी गयी पेशी दिनांक अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जवाब हेतु अवसर हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार साहब ने जवाब हेतु अवसर दिये बिना ही पत्रावली में मन मकसूद तरीके से आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट कानूनी

प्रावधानों की पालना किये बिना ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत आदेश पारित करने में भूल की है। कानूनन अपीलान्ट को जवाब का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। जो नहीं दिया गया, तथा जा0दी0 के प्रावधानों के तहत पटवारी हल्का के बयान भी नहीं हुए, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत को साबित होना कानूनन नहीं माना जा सकता है, बिना सदिय एवं दस्तावेजात के अभाव में पटवारी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने योग्य था। जिसे नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है उक्त भूमि पर अपीलान्ट एवं उनके पूर्वाधिकारी का विगत 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होकर उस पर अपनी कृषि उपकरण रखने हेतु कमरा एवं खेती की देखभाल हेतु मकान बना रखा है। उक्त भूमि अपीलान्ट के खेतो से लगी हुई होकर छोटी पट्टी है। अपीलान्ट का 40 वर्षो से कब्जा होने का कथन किया जा रहा है अपीलान्ट के पुराने कब्जे होने के कथन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने का अधिकार नही था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट आदेश पारित करने में विधि संबंधित व तथ्य संबंधित भूल की है उक्त मामले में अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने अधिवक्ता का वकालतनामा दिनांक 28.01.2020 को प्रस्तुत कराया तथा नकले प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा तो अधिनस्थ अधिकारी जी ने जवाब प्रस्तुत करने हेतु पेशी दिनांक 30.01.2020 को दी गयी पेशी दिनांक अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जवाब हेतु अवसर हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार साहब ने जवाब हेतु अवसर दिये बिना ही पत्रावली में मन मकसूद तरीके से आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत आदेश पारित करने में भूल की है। कानूनन अपीलान्ट को जवाब का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। जो नहीं दिया गया, तथा जा0दी0 के प्रावधानों के तहत पटवारी हल्का के बयान भी नहीं हुए, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत को साबित होना कानूनन नहीं माना जा सकता है, बिना सदिय एवं दस्तावेजात के अभाव में पटवारी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने योग्य था। जिसे नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है उक्त भूमि पर अपीलान्ट एवं उनके पूर्वाधिकारी का विगत 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होकर उस पर अपनी कृषि उपकरण रखने हेतु कमरा एवं खेती की देखभाल हेतु मकान बना रखा है। उक्त भूमि अपीलान्ट के खेतो से लगी हुई होकर छोटी पट्टी है। अपीलान्ट का 40 वर्षो से कब्जा होने का कथन किया जा रहा है अपीलान्ट के पुराने कब्जे होने के कथन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने का अधिकार नही था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम मियाला खेत पटवार हल्का लसाडिया तहसील भीम की आ0नं0 12337 किस्म बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी ने नोटिस की पालना में उपस्थित होकर उक्त बिलानाम भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि की किस्म बिलानाम है। बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के नियमन योग्य होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है और न ही ऐसा कोई प्रावधान बताया है। जिससे वादग्रस्त भूमि नियमन योग्य हो। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम के द्वारा दिनांक 30.01.2020 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, भीम को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, भीम को लौटायी जावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 21.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद